

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: [jdacad1960@gmail.com](mailto:jdacad1960@gmail.com) Ph 0141-2706550

क्रमांक:-एफ-7(4)शॉर्टटर्म/जयपुर/अकाद/आकाशि/2020/60 दिनांक:-: 16 फरवरी 2021

प्राचार्य,  
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,  
राजस्थान ।

विषय:-दिनांक 18 जुलाई 2018 से 02 नवम्बर 2020 के दौरान CAS हेतु किये गये ऑन लाईन रिफ्रेशर/शॉर्टटर्म/ओरियंटेशन कोर्स को वैध माने जाने की स्वीकृति बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के महाविद्यालयों में सेवारत अनेक शिक्षकों द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2018 से 02 नवम्बर 2020 के दौरान आवश्यक विभागीय पूर्वानुमति लिये बिना ऑन लाईन रिफ्रेशर/शॉर्टटर्म/ओरियंटेशन कोर्सेज में भाग लिया गया था । ऐसे कोर्सेज को इस विभाग द्वारा केरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के तहत विभागीय पदोन्नति हेतु वैध नहीं माना गया था ।


राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 18 जुलाई 2018 से 02 नवम्बर 2020 के दौरान यूजीसी द्वारा अधिकृत संस्थाओं से किये गये ऑनलाईन रिफ्रेशर/शॉर्टटर्म/ ओरियंटेशन कासेज को केरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के लिये गणना हेतु वैध माने जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

  
(संदेश नायक)

आयुक्त  
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 2- निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
- 4- वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।

  
(डॉ. सौमित्र नाथ झा)  
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)  
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर